रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938
No. 469] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 674(अ).— केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245ण की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण नियमावली, 1994 (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते) को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और निबंधन और वेतन और भत्ते का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें तथा निबंधन वेतन तथा भत्ते) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते आदि : अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुज्ञेय समान दर पर मासिक वेतन का हकदार होगा :

परंतु ऐसे वेतन, जो पेशन के साथ और पेंशन के समतुल्य के किसी अन्य रुप से सेवानिवृत्त के फायदे के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में सेवानिवृत्त होने से पहले उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(2) अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय ऐसे भत्ते और अन्य फायदों का हकदार होगा ।

(3) उपाध्यक्ष, शीर्ष वेतनमान पर मासिक वेतन का हकदार होगा :

परंतु ऐसे वेतन, जो पेशन के साथ और पेंशन के समतुल्य के किसी अन्य रुप से सेवानिवृत्त के फायदे के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में सेवानिवृत्त होने से पहले उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(4) उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय समान दर पर भत्तों का हकदार होगा ।

4. सदस्य के वेतन और भत्ते आदि : सदस्य 75500-80000 रुपए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा

परंतु ऐसा वेतन से, पेंशन और पेंशन के समतुल्य उपादान, अभिदाय निधि का नियोजक अंशदान या किसी अन्य रुप, सेवा निवृत्त फायदे, यदि कोई हो, उसके द्वारा निकाला गया है या निकाला जाना है, की राशि को घटा दिया जाएगा ।

5. मंहगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता : सदस्य, केन्द्रीय सरकार में समतुल्य वेतन पाने वाले समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय समान दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करेगा ।

6. छुट्टी : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय ऐसी छुट्टी का हकदार होंगे :

परंतु किसी सदस्य द्वारा सरकार से सेवानिवृत्त होने पर नगद भुनाई जाने वाली छुट्टी लेने और प्राधिकरण में कार्यकाल की समाप्ति पर नगद भुनाई जाने वाली छुट्टी कुल 300 दिनों तक निर्बंधित होगी ।

7. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की छुट्टी मंजूर करने का सक्षम प्राधिकारी होगा और भारत के राषट्रपति, अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने का सक्षम प्राधिकारी होगा

8. कार्यालय की शर्त : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपना पद संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस रुप में पद धारण करेंगे परंतु तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे :

परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य आयु प्राप्त करने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा -

(क) किसी अध्यक्ष की दशा में, सत्तर वर्ष की आयु :

(ख) किसी उपाध्यक्ष की दशा में, पैंसठ वर्ष की आयु : और

(ग) किसी सदस्य की दशा में बासठ वर्ष की आयु ।

(2) सदस्य के रुप में नियुक्त होने वाले किसी व्यक्ति को सदस्य के रुप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी ।

9. अभिदाय भविष्य निधि में अंशदान : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य केन्द्रीय सरकार के सेवकों की पुनर्नियोजन पर लागू होने वाली ऐसी शर्तों के अध्यधीन अभिदाय भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार उनकी नियुक्ति की तारीख से अभिदाय भविष्य निधि में अंशदान किए जाने के हकदार होंगे ।

10. सेवा की अन्य शर्तें : (1) अध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) और उसके अधीन बनाए गए नियमों से शाशित होंगे और अध्यक्ष समय समय पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीशों को मिलने वाले सभी भत्तों, परिलब्धियों, विशेषाधिकारों, सुखसुविधाओं और सुविधाओं के भी हकदार होंगे ।

(2) उपाध्यक्ष की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को लागू के समान होंगे ।

(3) सदस्य की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार के अन्य समतुल्य अधिकारियों को यथा लागू के समान होगी ।

11. अवशिष्ट उपबंध : अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों के सेवा शर्तों से संबंधित विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए है, उसके विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक मामले निर्दिष्ट किए जाएंगे और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों पर बाध्यकारी होगा ।

12. शिथिल करने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार को इन नियों को किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् शिथिल करने की शक्ति होंगी ।

[फा. सं. क्यू-29016/2/2015-प्रशा.1सी(एएआर)]

एस. भौमिक, अवर सचिव